(107)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 603–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–2–15 पारित द्वारा तहसीलदार, बाड़ी जिला रायसेन प्रकरण कमांक 57/अ–6/2013–14.

1– प्रकाश आत्मज स्व. रोशनलाल चौहान
2– सूरत सिंह आत्मज स्व. रोशनलाल चौहान
3– बदामी लाल आत्मज स्व. रोशनलाल चौहान
4– विमल सिंह आत्मज प्रकाश सिंह
कृषकगण गूगलबाड़ा
तहसील बाड़ी जिला रायसेन
निवासीगण ग्राम बकतरा
तहसील बुदनी जिला सीहोर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती लज्जा बाई पत्नी शिवकुमार
निवासी ग्राम अरका
तहसील बाड़ी जिला रायसेन
2– श्रीमती गायत्री बाई पत्नी सोहन सिंह
निवासी ग्राम शिवतला
तहसील बाड़ी जिला रायसेन
3– श्रीमती मालती बाई पति सहाब सिंह
निवासी ग्राम दामादेही
तहसील बाड़ी जिला रायसेन
4– दुर्गा प्रसाद आत्मज स्व. किशनलाल
5– केदार सिंह आत्मज स्व. किशनलाल
6– राजेश सिंह आत्मज स्व. किशनलाल
निवासीगण ग्राम गूगलबाड़ा
तहसील बाड़ी जिला रायसेन .....आवेदकगण

श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बाड़ी जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, बाड़ी के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत ग्राम गूगलबाड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 247/2 रकबा 0.810 हेक्टेयर, 250/1 रकबा 0.202 हेक्टेयर, 250/3/2 रकबा 1.997 हेक्टेयर में से 1/4 अंश पर कोमलबाई के स्थान पर वारिसाना नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 57/अ–6/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–2–15 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण की पूर्वज श्रीमती रामकलीबाई उर्फ हल्कीबाई के भूमिस्वामी स्वत्व की हैं । प्रश्नाधीन भूमियां आवेदकगण की पूर्वज को उनके पिता दलीप सिंह से प्राप्त हुई थी, अंतः प्रश्नाधीन भूमियां पैतृक भूमि नहीं है । दलीप सिंह की दो पुत्रियां गिन्दियाबाई एवं रामकली उर्फ हल्की बाई थी और गिन्दियाबाई द्वारा उनके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर दी गई, शेष रामकलीबाई के हिस्से की 7.60 एकड़ भूमि पर उसका नाम दर्ज होकर चली आ रही थी ।

(2) अपीलार्थीगण की मॉ द्वारा अपने जीवनकाल में अपने तीनों पुत्रों को बराबर–बराबर हिस्से में बटवारा कर कब्जा दे दिया गया था, शेष 2.00 एकड़ भूमि श्रीमती रामकलीबाई द्वारा अपने भरण–पोषण के लिए अपने लिये रखी थी, जिसे रामकलीबाई एवं उसके पति द्वारा उनकी अंतिम इच्छा अनुसार परिवार की सहमति से नाती आवेदक कमांक 4 को दी गई ।

(3) रामकली उर्फ हल्की बाई का निधन ग्राम बकतरा में हुआ था, और उनकी कृषि भूमि ग्राम गूगलबाडा में भूमि स्थित थी, जिसका फायदा उठाकर अनावेदकगण के पिता किशनलाल द्वारा नामांतरण पंजी में बिना किसी आधार के उसकी पत्नी कोमलबाई का नाम जुड़वा दिया गया, जिसकी कोई जानकारी आवेदकगण को नहीं दी गई ।

(4) वर्ष 2007 में उनके पुत्र व पुत्री कोमलबाई सह खातेदारों द्वारा पिता रोशनलाल द्वारा किये गये पूर्व आपसी पारिवारिक मौखिक विभाजन वर्ष 1985 को मान्यता देते हुए

आपसी पारिवारिक व्यवस्था अनुसार ग्राम गूगलबाड़ा की नामांतरण पंजी कमांक 23 पर रोशनलाल एवं रामकली के फौत होने पर कोमलबाई की पूर्ण सहमति पर पूर्व पारिवारिक मौखिक व्यवस्थापन पर हिस्सानुसार नवीन प्रविष्टि करते हुए नामांतरण करवाया गया । उक्त नामांतरण पंजी कमांक 23 पर की गई कार्यवाही को परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, न ही किसी भी न्यायालय में चुनौती दी गई और न ही कोमलबाई द्वारा अपने जीवनकाल में किसी प्रकार की कोई आपत्ति उठाई गई, बल्कि पिता द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक मौखिक व्यवस्थापन को मान्यता देते हुए माता–पिता की मृत्यु उपरांत अपने भाई एवं अनावेदक कमांक 4 के नाम नामांतरण व बटवारे में पूर्ण सहमति प्रदान करते हुए राजस्व अधिकारी एवं पटवारी तथा सभी की उपस्थिति में हस्ताक्षर/अंगूठा लगाकर सहमति प्रदान की गई ।

(5) कोमलबाई की मृत्यु उपरांत उसके पति किशनलाल के मन में बेईमानी आ जाने एवं जमीनों की कीमत बढ़ जाने से उसके द्वारा नामांतरण आदेश के विरूद्ध समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मान्य करते हुए नामांतरण आदेश निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील बहस हेतु नियत है ।

(6) इसी बीच अनावेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 247/2, 250/1, 250/3/2 रकबा कमशः 0.810, 0.202, 1.97 कुल रकबा 3.009 हेक्टेयर भूमि के हिस्से व नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण कमांक 149/अ–6/12–13 दर्ज होकर दिनांक 28–11–2013 को अदम पैरवी में खारिज हुई । उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई हौर न ही प्रकरण को रिकार्ड पर लेने हेतु संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, अतः उक्त आदेश अंतिम हो गया है ।

(7) अनावेदकगण द्वारा उक्त प्रकरण को एवं वास्तविकता को छिपाते हुए पुनः दिनांक 29–3–2014 को संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण कमांक 57/अ–6/13–14 पंजीबद्ध होकर तहसील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें आवेदकगण द्वारा उपस्थित होकर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में उभय पक्ष के मध्य पूर्व में प्रकरण 149/अ–6/12–13

प्रचलित हुआ था, जो दिनांक 28–11–2013 को निरस्त किया जा चुका है, किन्तु अनावेदकगण द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए पुनः नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिए पक्षकारों पर पूर्व निर्णय बंधनकारी होने से अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया जाये, जिस पर तहसीलदार द्वारा बिना विचार किये विधि एवं न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1996 आर.एन. 33, 1990 आर.एन. 407 (उच्च न्यायालय), 1990 आर.एन. 90 एवं 1969 आर.एन. 342 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है और अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण के पक्ष में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बाड़ी जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर